आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 75/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

15/09/20 दाता श्री नन्द किशोर सिंह, पिता–भीखारी सिंह, ग्राम–जिन्दापुर मठिया, थाना+अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
213	–	02 कटटा	उतर–परती दक्षिण–नीज पूरब–गनौरी सिंह पश्चिम–मोहन सिंह

मौजा–जिन्दापुर मठिया, थाना+अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 838 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई वाद में उपस्थित नही हुए और ना ही इस वाद में किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के कार्यालय पत्रांक 214 दिनांक 28.07.2020 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता हस्ताक्षर है एवं राम जतन सिंह और अजय नारायण गवाह है। अंचल अधिकारी सोनभद्र वंशी सूर्यपूर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि मौजा–जिन्दापुर मठिया, थाना संख्या–194 में खाता संख्या–213 का जमाबंदी राम यतन राम वगैरह, पिता–दृगपाल राम का डिमांड संख्या–27/02, राम रतन सिंह, पिता–राम दहीन सिंह, डिमांड संख्या–57/02, सुकेशिया देवी, पति–मोहन यादव, डिमांड संख्या–70/02 तथा राम अवध सिंह, पिता–नन्द किशोर, डिमांड संख्या–125/01 पर डिमांड चल रहा है। भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक ठीकेदार दर्ज है। वर्णित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम, कैशरे हिन्द, श्मशान, मंदिर मस्जिद आदि से मुक्त है।

अतः भूदान यज्ञ दान पत्र की भूमि खाता संख्या–213 में श्री नन्द किशोर सिंह, पिताम्बर सिंह, राम लखन सिंह तीनों पिता–भिखारी सिंह के द्वारा भूमि दान में दिया गया है जबकि भूमि खतियान में गैरमजरूआ मालिक है और भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के नाम पर डिमांड कायम है। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की दान करने का अधिकार दाता को नही है जिसे वर्णित भूमि का संपुष्टि की कार्यवाई करना उचित प्रतीत नही होता हैं वाद को खारिज किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
15/09/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

15/09/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।